



महिला

सारांश वचन पत्र 2023



महिला समग्र सशक्तिकरण

- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए “नारी सम्मान योजना” प्रारंभ करेंगे, प्रतिमाह ₹1500 देंगे।
- रसोई गैस सिलेण्डर ₹500 में देंगे।
- “बेटी विवाह योजना” प्रारंभ करेंगे, ₹1 लाख 1 हजार की सहायता नगद देंगे। विधवा विवाह प्रोत्साहन हेतु ₹1 लाख 51 हजार देंगे।
- वृद्ध, विधवा, दिव्यांग एवं परित्यक्ता माताओं एवं बहनों को सामाजिक सुरक्षा हेतु ₹1200 पेंशन देंगे। बहुदिव्यांगों को ₹2000 पेंशन देंगे।
- महिला उद्यमियों को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे।

मेरी बिटिया रानी

- मेरी बिटिया रानी योजना प्रारंभ करेंगे। बेटियों को जन्मोत्सव से विवाह संस्कार होने तक ₹2 लाख 51 हजार की राशि के हित लाभ देंगे।

महिला समग्र सुरक्षा

- महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे एवं मध्यप्रदेश पर से महिला दुष्कर्म में सबसे आगे होने के कलंक को मिटायेंगे।
- दोषियों को शीघ्र सजा देने के लिए महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रारंभ करेंगे।
- उत्पीड़ित महिलाओं को एक छत के नीचे सभी तरह की सहायता उपलब्ध कराने के लिए आशा समग्र केन्द्र प्रारंभ करेंगे।
- महिला सुरक्षा के लिए सुरक्षा एप इंस्टॉल कराएंगे एवं 181 हेल्पलाइन को प्रभावी बनाएंगे।
- महिला यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करेंगे तथा महानगरीय बस सेवा के निःशुल्क पास देंगे।

महिला समग्र शिक्षा

- कन्याओं को आंगनबाड़ी से कॉलेज तक की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करेंगे।
- पढ़ो-पढ़ाओ योजना प्रारंभ करेंगे। पात्र बालिकाओं को कक्षावार ₹500 से ₹1500 की सहायता प्रतिमाह उपलब्ध कराएंगे।
- बोर्ड की मेरिट में आने वाली कन्याओं को ₹2 लाख की सम्मान निधि देंगे।
- कन्या उच्च शिक्षा के लिए विरोष महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे एवं नए आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रारंभ करेंगे।
- सभी वर्ग की कन्याओं के लिए आदर्श छात्रावास खोलेंगे।
- सरकारी स्कूल से पढ़ी कन्याओं के लिए इंजीनियरिंग, मेडिकल एवं लॉ में 10% सीट सुरक्षित करेंगे।

**सथावत बेटी
समृद्ध नारी
खुशहाल
मध्यप्रदेश**





बढ़ाइये हाथ फिर कमलनाथ



महिला समग्र स्वास्थ्य

- महिलाओं का परिवार सहित 25 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख का दुर्घटना बीमा करायेंगे।
- प्रदेश में सुपोषित नारी अभियान चलायेंगे।
- समग्र शुचिता कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज व छात्रावास की कन्याओं को निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध करायेंगे।
- छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं को प्रतिमाह 1 दिवस का मासिक धर्म अवकाश देंगे।

समग्र बाल कल्याण

- बाल अपराध में प्रदेश के अग्रणी स्थान पर होने के कलंक को मिटाने के लिए बचपन बचाओ अभियान चलायेंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करेंगे।
- आंगनबाड़ी में प्री नर्सरी कक्षाएँ संचालित करेंगे।
- सुपोषण आहार व खिलौना बैंक स्थापित करेंगे एवं सुपोषित शिशु अभियान चलायेंगे।

महिला समग्र सहभागिता

- महिलाओं की सभी क्षेत्रों में सहभागिता सुनिश्चित करने की नीति पर चलेंगे।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण की नीति बनायेंगे।
- सहकारी समितियों के निर्वाचन एवं मनोनयन में महिलाओं को 50% आरक्षण देंगे।

महिला कर्मियों का विश्वास

- आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्ताओं की नियमितीकरण की मांग पर न्याय करेंगे।
- आशा व उषा कार्यकर्ताओं को मैदानी स्वास्थ्य सेवा का कैडर बनाकर जोड़ेंगे।
- रसोइयों के मानदेय में 50% बढ़ोतरी करेंगे।

खुशहाली मिशन

- महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए खुशहाली मिशन प्रारंभ करेंगे।
- घर-बारी खुशहाली कार्यक्रम प्रारंभ कर आजीविका एवं आवास हेतु पात्र महिलाओं को 5000 वर्ग फीट का भूखंड देंगे।
- स्व सहायता समूह (SHG) को 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएंगे।
- समूहों का रिवाल्विंग फंड ₹50,000 तक ले जाएंगे।